



Notary
Khatima
उत्तराखण्ड राज्य
प्रकाशन
उत्तराखण्ड

13AA 045035

ଶାପଦ୍ମାଦିଲ ପ୍ରାଚୀ ୨୬ ମା ଅଗ୍ରା

समझ - रिटायर्ड आफ्कोहर
६९- जानवरता (म.ज.भा)
जीवात सम्भव निवाल्ये हो

Attested The signature of
of Executant/ponent who
has been signed by before me

11.1.12

Ramesh Chandra Joshi
Advocate
Civil Court Khatima (U S N)

Sworn and Affirmed before me by
Sri/Smt./Km. 31/12/11 11-12-2011
Deponents Identified by Sn 333 KA-212025
The Contents of the Affidavit at
Khatra on 11-01-12
after further understand the Con-
tents read Over to him Bishw
Bishw Bishw 11-01-12

(Trilok Singh Bisht)
NOTARY / Advocate
Pahar Khatima (I.S.Nagar)
Uttarakhand (INDIA)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

प्र० 26
(नियम 4क देखिए)

५५ नाम स्थल) (अ.ग्र.जो) निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तरारबण १५८८ लभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं जोपालन लिए रापा पुत्र/पुत्री/मत्ती कर्तव्य स्वीकृत हूँ आयु ६२ वर्ष
जोपालन का नाम लिया लिया का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यानिष्ठा से प्राप्ति करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. यौवनिक्षेपित विवित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। १५८८ लभा २००९

(यदि अभिसाक्षी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे/प्रकरण का नाम लिया लिया

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं २५९
(II) पुलिस थाना (थाने) लभा जिला (जिले) लभा राज्य लभा
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है २५९
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई २५९
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे २५९
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है २५९

2. यूझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। २५९

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) गागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं २५९
(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है २५९
(III) पुलिस थाना (थाने) लभा जिला (जिले) लभा राज्य लभा
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है २५९
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे २५९
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं २५९

स्थान:- लभा

तारीख:- १०.०१.२०११

सत्यापन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

३०१०१०६१११

गैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है और कोई तात्पर्य वात छिपाई नहीं गई है।
स्थान पर आज तारीख १०.०१.२०१२ को सत्यापित किया।

टिप्पणी : इस प्र० 26 के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

१०.०१.०६१११
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 15 का 6